

कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद

आयुक्त संदेश (संख्या)

संख्या- प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद/संख्या/2021/3637

अवधि: दिनांक 08/08/2021

संबंधित शब्द:

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय और इन्फो, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विज्ञापन जारी करके संबंधी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, आरपी संघसूचक को सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण पत्रक किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदन एवं संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण पत्रक/संघसूचक प्रवेश सत्यापन सूचि अहित अन्य मही पर विचार करती हूँ सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विवरण पत्रक जारी करने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने मही निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, आरपी संघसूचक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विचारित करने के अर्थ में संघसूचक एवं उसने अधिक प्रवेश अनाया हेतु सम्बद्धता विवरण पत्रक को जारी है:-

संस्था का नाम एवं पता : 4423-RUCHI INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 180, DAYANAND MARG, PRAYAGRAJ

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पंजीकृत/संघसूचक/पंजीकृत/पंजीकृत द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश सत्यापन	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश सत्यापन
1	B.O DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
2	P.G DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60
3	P.O DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	30	30
4	HOME SCIENCE	30	30
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60
6	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	64	64

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था (पंजीकृत/संघसूचक/पंजीकृत/पंजीकृत) द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद विनियमसूची 1982, सेक्टर विनियमसूची-2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों/द्वितीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 (0)180,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों/तृतीय पाठ्यक्रम हेतु ₹0- ₹5000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष ही वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षों/तृतीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था/सत्र पर लागू द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाशित होने, और उपलब्ध करवाई किन्तु जल्द प्रकाशित होगा। बीच निर्धारित समिति द्वारा मही सत्र 2021-22 हेतु भिन्न का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो किन्तु की संशोधन ही करेगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद तथा उप अतिरिक्त, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जायें। विनियमसूची-2000 की शर्तें का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करेगी एवं ही प्रवेश दिए जायेंगा। शीट के विवरण एवं जाने की विधि से उपरोक्त प्रवेश सत्यापन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को संस्था-सत्यापन पर निर्णय कार्यालयों के अनुमोदन निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (पंजीकृत/संघसूचक/पंजीकृत/पंजीकृत) से (आयुक्त सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किए जाने आकारण होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश सत्यापन द्वारा जारी एवं निर्धारित/अतिरिक्त/संघसूचक/पंजीकृत/पंजीकृत एवं विदेशी, प्रौद्योगिकी शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बनाने एवं निर्धारित, निर्धारित, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञापन एवं संबंधी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वे ही आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो इन सत्रों में समाप्त

(Handwritten Signature)

कार्यालय,
प्रविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय स्तर:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता कुट्टि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4423-RUCHP'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 19/3, DAYANAND MARG, ALLAHABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	P.G.DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	30	30
3	P/G DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
4	HOME SCIENCE	30	30
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60
6	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	54	54

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-व्यय पर निर्गत शासनवशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पारमेशी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 48000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पारमेशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवश प्रभावी होंगे, और

Prasad Mishra

अनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। पीस निरीक्षण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था की समग्र-समय पर निर्गत छात्रनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्स्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशात्मक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्स्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आर्षोचित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समग्र-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ रैंगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्नेक्टर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सार्वजनिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता चार्ज का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Rhan

(ए०आई०सी०टी०ई०)

सचिव

पु०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7816-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक RUCHI'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 19/3, DAYANAND MARG, ALLAHABAD

Rhan

(ए०आई०सी०टी०ई०)

सचिव

for later

- ✓ संस्था को समग्र-समय पर निर्णय लागू करने के अनुसार निर्देशन एवं समर्थन सुनिश्चित किया जाएगा।
- ✓ समग्रता उत्तर प्रदेश सामाजिक शिक्षा विधि/निष्ठा/अभिव्यक्ति/आत्मनिर्भरता/संसाधन/सिद्धि एवं निर्देशन, पारिस्थिक शिक्षा, (2022), संयुक्त प्रदेश पौष्टिक नीति, 2022 तथा पारिस्थिक शिक्षा नीति, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही है।
- ✓ यदि संस्थान का अग्रिम सार्वजनिक उत्कृष्टता शिक्षा परिषद्/समिति/आयुक्तिक आयोग द्वारा, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इन संबंध में समस्त आवश्यकताएं संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पारिस्थिक शिक्षा नीति, संयुक्त प्रदेश पौष्टिक नीति, पारिस्थिक शिक्षा निर्देशन (एवं पारिस्थिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के विषय यदि कोई बात उत्तर प्राप्त होता है तथा उत्तर बाद के संबंध में मा. उपायुक्त द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित कार्य को कराया जाएगा।
- ✓ कार्यवाही को संयुक्त प्रदेश पौष्टिक नीति, उत्तर प्रदेश आकाश-द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रेषण परिसर हेतु कार्यालयित करने होने के पूर्व अग्रिम सार्वजनिक उत्कृष्टता शिक्षा परिषद्/समिति/आयुक्तिक आयोग द्वारा, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रेषण की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषण हेतु समग्र-समय पर निर्णय सार्वजनिक आकाश-निर्देशन का अनुपालन करना कार्यवाही होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा पारिस्थिक शिक्षा के सूचना-पत्रों पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक घुंति, भूमि, स्टाफ, सार्वजनिक, आकाश, प्रेषण किया जाने वाला सुनिश्चित, आकाश-सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रणाली हेतु संयुक्त पत्राचारण उपलब्ध आदेशों के साथ रेगुलर रूप से सम्बन्ध में समस्त आवश्यकताएं सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में अंतरिक्ष/संसाधित पर्यटकों को प्रेषण करने हेतु निर्देशन, समिति के समस्त उपलब्ध कार्यवाही गये अंतरिक्ष, सुनिश्चित, भूमि, आकाश, प्रेषण, इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी उत्तर पर्यटकों के संसाधन में प्रेषण किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रेषण किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश पारिस्थिक शिक्षा (समिति/आयुक्तिक आयोग/समिति) के समर्थन किया जाता। विनियम/सूची, 2000 के अधिनियम/सूची परिषद् की आज का अपने कार्यवाही, कार्यवाही और कार्यवाही को परिषद् को पौष्टिक के संसाधन के लिए परिषद् के अधिनियम में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार-संसाधित निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, आकाश, प्रेषण/संसाधन, उपलब्ध एवं अन्य सार्वजनिक (2022/सूची/सूची) के अनुसार/परिषद् के अनुसार/संसाधित नहीं प्राप्त होता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता गती का अनुपालन न किया जाने आकाश-सूची का अनुपालन किये जाने की विधि में निम्नानुसार अनुसंधान/संसाधित कार्यवाही की जाएगी।

(अनील कुमार सिंह)

सचिव

सूचना- पारिस्थिक शिक्षा सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिपत्ति-

संसाधन/निर्देशन, RUCH'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 18/3, DAYANAND MARG, ALLAHABAD

(अनील कुमार सिंह)

सचिव